न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA 140 of 2022 (GCMS 230 of 2022)

1. रूपी पुत्री पीराराम जाट
2. सोनी पुत्री पीराराम जाट

निवासीगण ग्राम बरसालू खुर्द, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सायरी पत्नी रामूराम जाट
2. भेराराम पुत्र पीराराम जाट
3. भीकी पुत्री पीराराम के कायममुकामान-
   3.1. देदाराम पुत्र जयरामाराम जाट
   3.2. इसाराम पुत्र जयरामाराम जाट

   निवासीगण ग्राम बरसालू, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
4. तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां, दिनांक 03 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 56/2009 रूपी व अन्य बनाम सायरी इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2024

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/2009 रूपी बनाम सायरी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03 जून 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 जून 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादिनी-अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बरसालूखुर्द स्थित आराजी खसरा संख्या 49 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 76/1 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 76 बीघा 03 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान वादिनी संख्या तीन भीकी पुत्री पीराराम का देहान्त होना दिनांक 19 सितम्बर 2016 की आदेशिकानुसार जाहिर हुआ। जिसके कायममुकामान की कार्यवाही हेतु अधिवक्ता-वादी को निर्देशित किया गया। मगर दिनांक 03 जून 2019 तक वकील वादी द्वारा कायममुकाम संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गयी, अतः विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद अबेट हो जाना मानते हुए खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में पीराराम के नाम दर्ज रही है, जिनके देहान्त के बाद उक्त आराजियात बाबत उनके पुत्र-पुत्रियों (अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो.) प्रत्येक को ⅕-⅕ हिस्से बाबत विरासतन खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाते है किन्तु पीराराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या तीन का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया, अतः विचारण न्यायालय में दावा पेश कर ⅗ हिस्से बाबत अनुतोष चाहा गया।

08.7.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान रेस्पो-वादिनी संख्या तीन भीकी का देहान्त हो जाने एवं उनके कायममुकामान की कार्यवाही नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा मूल दावा अबेट मानते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 जून 2019 को खारिज कर दिया गया, जो विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं है क्योंकि आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत मृत व्यक्ति के हितों की सीमा तक ही वाद को अबेट किया जा सकता है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दावा अबेट मानते हुए खारिज कर दिया गया।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने वाद की कार्यवाही के दौरान प्रत्येक पेशी पर वादीगण की उपस्थिति अनिवार्य नहीं बताते हुए आवश्वस्त किया था कि जब भी आवश्यकता होगी, वादीगण को सूचित कर बुला लेंगे। लेकिन अधिवक्ता द्वारा कभी भी अपीलाण्ट्स को नहीं बुलाया गया, और जब भी अपीलाण्ट्स ने जानकारी चाही तो आगे पेशी होना बताया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी नहीं हो पायी। वर्तमान में रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गयी और बताया गया कि दावा खारिज करवा दिया गया है, तब अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा अनभिज्ञता प्रकट की गयी और विचारण न्यायालय से पता कर नकलों हेतु दिनांक 26 मई 2022 को आवेदन किया, और उसी दिन नकलें प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय बाबत विधिवत जानकारी हुई और जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के अन्दर आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी गयी। जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपील मियाद बाधित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया और कथन किया कि अपील प्रस्तुत करने में दो साल के विलम्ब का कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण प्रकट नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय वादी-पक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति

10-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में पारित किया गया है अतः अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी मानी जावेगी। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि वादिनी संख्या तीन का देहान्त हो जाने का तथ्य 19 सितम्बर 2016 को ही विचारण न्यायालय में प्रकट हो चुका था, किन्तु इसके बाद 33 महीनों तक वादीगण की ओर से उसके कायममुकामान की कार्यवाही नहीं की गयी। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दावा अबेट मानते हुए अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादी संख्या तीन का देहान्त हो जाने पर विधिक परिसीमा में उसके कायममुकामान की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वादीगण का वादपत्र अबेट होने से खारिज किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आलौच्य मामले में वादिनी संख्या एक से तीन कमशः रूपी, सोनी व भीकी पिसरान पीराराम परस्पर सगी बहने है, ऐसी स्थिति में मात्र एक वादिनी संख्या तीन का देहान्त हो जाने पर सम्पूर्ण वाद अबेट होना मानते हुए खारिज कर दिया जाना सीपीसी के आदेश 22 नियम 9 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी संख्या तीन का देहान्त हो जाने पर विधिक परिसीमा में उसके कायममुकामान की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वादीगण का वादपत्र अबेट होने से खारिज किया जाना न्यायोचित, विधिसम्मतः एवं न्यायिक प्रकिया के अनुरूप नहीं पाया जाता है।

गुणावगुण के स्तर पर अपील अपीलाण्ट सारवान पायी जाती है, अतः मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा इस

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संबंध में प्रस्तुत कथनों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03 जून 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूल वाद में निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए मामले का गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर